

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी : रजत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 146/2025

वादी

1. अलीमुदीन पुत्र दीनमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खाटूकला तहसील जायल ।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल हकीम पुत्र कमालदीन
2. अलीकन पत्नि दीनमोहम्मद
3. कबीर हसन पुत्र दीनमोहम्मद
4. कसीमुदीन पुत्र दीनमोहम्मद
5. जरीना पुत्री मोहम्मद अली
6. तफैल अहमद पुत्र कमालदीन
7. परवीन पुत्री मोहम्मद अली
8. फातमा पत्नि कमालदीन
9. बेबी बेगम पुत्री कमालदीन
10. मुख्तार अली पुत्र मोहम्मद अली
11. रईसा बेगम पुत्री कमालदीन
12. शब्बीर पुत्र कमालदीन
13. रेशमा पत्नि सरफुदीन
14. हसन अली पुत्र सरफुदीन
15. समीम बानो पुत्री सरफुदीन
16. तसलीम बानो पुत्री सरफुदीन
17. नुरबानो पुत्री सरफुदीन जातियान मुसलमान निवासीगण खाटूकला
18. मांगीलाल पुत्र सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी खाटूकला तहसील जायल जिला नागौर
19. मनमोहनसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी कूचिपला तहसील मकराना जिला डीडवाना-कूचामन
20. प्रीती राठौड पुत्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कोनियाडा तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना कूचामन ।
21. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

1 वादीगण की ओर से श्री हनुमान राम मण्डा एडवोकेट,

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2 प्रतिवादी संख्या 1 से 20 की ओर से इन्द्रसिंह राठौड़।

:: निर्णय ::

दिनांक 29/09/2025

वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 20 के सहखातेदारी पुस्तनी बढेर व खरीदसुदा भूमि मौजा खाटूकला के खसरा नम्बर 1700 रकबा 1.6916 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2042/1700 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आये हुए है। खातेदार सरफुदीन का स्वर्गवास हो गया उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि का मौखिक बंटवाड़ा कर लिया है जो 2078 को कर लिया है तथा मौके पर बंटवाड़ा स्कीम निम्नानुसार है। वादी अलीमुदीन के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा खाटूबडी का खसरा नम्बर 1700 रकबा 1.6916 हैक्ट पूरा रखा है। एवं प्रतिवादी संख्या 18 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्तें खातेदारी में मौजा खाटूबडी का खसरा नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7527 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। व प्रतिवादी संख्या 19 व 20 मनमोहन सिंह व प्रीति राठौड़ के सामलाती हक बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटूकला का खसरा नम्बर नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7527 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। व प्रतिवादी संख्या 19 मनमोहन सिंह के हक बंट व खातेदारी में खाटूकला का खसरा नम्बर 2042/1700 रकबा 0.2428 हैक्ट. पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के बंट में अन्य भूमि आई हुई होने से इस भूमि में बंट नहीं रखा है। खातेदार अरफान अली, इमरान अली, खुर्शीदा, जुबैदा, मुकीम हसन, मेम बैगम, शबाना व समा ने अपना हिस्सा सम्पूर्ण वादी अलीमुदीन को बेचान कर देने से इनको पक्षकार नहीं बनाया है। का वाद पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच उक्त भूमियों का मौखिक बंटवाड़े राजकिय रिकोर्ड में अमलद दरामद नहीं होने इसलिए यह वाद पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 कि ओर से अधिवक्ता इन्द्रसिंह राठौड़ ने वकालतनामा एवं राजीनामा व इकबाली जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 21 का सम्मन तामिलसुदा प्राप्त हुवा। प्रतिवादी संख्या 1 से 20 कि ओर से राजीनामा व इकबाली जवाब पेश होने व प्रतिवादी संख्या 21 तहसीलदार केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने गवाह मांगीलाल, मुकीम हसन, अलीमुदीन, के शपथ पत्र पेश किया तथा नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 मौजा खाटूकला के खाता संख्या 795,62,64 प्रदर्ष-1 लगायत-3 पेश है। बेचाननामा दिनांक 26.05.2026 कि छाया प्रति एवं बेचाननामा दिनांक 26.05.2026 कि छाया प्रति पेश कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 20 कि ओर से राजीनामा व इकबाली जवाब पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वाद पत्र में वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा खाटूकला के अलीमुदीन के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा खाटूबडी का खसरा नम्बर 1700 रकबा 1.6916 हैक्ट पूरा रखा है। एवं प्रतिवादी

सहायक जज
(स.डी.ओ.) जायल

संख्या 18 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्तें खातेदारी में मौजा खाटूबडी का खसरा नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7527 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। व प्रतिवादी संख्या 19 व 20 मनमोहन सिंह व प्रीति राठौड के सामलाती हक बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटूकला का खसरा नम्बर नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7527 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। व प्रतिवादी संख्या 19 मनमोहन सिंह के हक बंट व खातेदारी में खाटूकला का खसरा नम्बर 2042/1700 रकबा 0.2428 हैक्ट. पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के बंट में अन्य भूमि आई हुई होने से इस भूमि में बंट नहीं रखा है। खातेदार अरफान अली, इमरान अली, खुर्शीदा, जुबैदा, मुकीम हसन, मेम बैगम, शबाना व समा ने अपना हिस्सा सम्पूर्ण वादी अलीमुदीन को बेचान कर देने से इनको पक्षकार नहीं बनाया है। जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा माफिक वाद पत्र अनुसार निर्णय व डिक्री पर्चा जारी किया जाता है। माफिक वाद अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री पर्चा अलग से जारी किया जाता है। तथा तहसीलदार जायल माफिक निर्णय व डिक्री पर्चा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी व प्रतिवादी को सुना गया। वकील वादी व प्रतिवादी ने बंटवाड़ा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।



- : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

वादी अलीमुदीन के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा खाटूबडी का खसरा नम्बर 1700 रकबा 1.6916 हैक्ट पूरा रखा है। एवं प्रतिवादी संख्या 18 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्तें खातेदारी में मौजा खाटूबडी का खसरा नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7527 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। व प्रतिवादी संख्या 19 व 20 मनमोहन सिंह व प्रीति राठौड के सामलाती हक बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटूकला का खसरा नम्बर नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7527 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। व प्रतिवादी संख्या 19 मनमोहन सिंह के हक बंट व खातेदारी में खाटूकला का खसरा नम्बर 2042/1700 रकबा 0.2428 हैक्ट. पूरा रखा गया है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैमल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (रजत)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 जायल

 (रजत)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 जायल

डिकी बमूकहमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : रजत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 146/2025

वादी

1 अलीमुदीन पुत्र दीनमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खाटूकला तहसील जायल ।

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1 अब्दुल हकीम पुत्र कमालदीन
- 2 अलीकन पत्नि दीनमोहम्मद
- 3 कबीर हसन पुत्र दीनमोहम्मद
- 4 कसीमुदीन पुत्र दीनमोहम्मद
- 5 जरीना पुत्री मोहम्मद अली
- 6 तफैल अहमद पुत्र कमालदीन
- 7 परवीन पुत्री मोहम्मद अली
- 8 फातमा पत्नि कमालदीन
- 9 बेबी बेगम पुत्री कमालदीन
- 10 मुख्तार अली पुत्र मोहम्मद अली
- 11 रईसा बेगम पुत्री कमालदीन
- 12 शब्बीर पुत्र कमालदीन
- 13 रेशमा पत्नि सरफुदीन
- 14 हसन अली पुत्र सरफुदीन
- 15 समीम बानो पुत्री सरफुदीन
- 16 तसलीम बानो पुत्री सरफुदीन
- 17 नुरबानो पुत्री सरफुदीन जातियान मुसलमान निवासीगण खाटूकला
- 18 मांगीलाल पुत्र सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी खाटूकला तहसील जायल जिला नागौर
- 19 मनमोहनसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी कूचिपला तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन
- 20 प्रीती राठौड पुत्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कोनियाडा तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना कुचामन ।
- 21 सरकार जरिये तहसीलदार जायल ।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

दावा अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -


- 1 वादीगण की ओर से श्री हनुमान राम मण्डा एडवोकेट,
- 2 प्रतिवादी संख्या 1 से 20 की ओर से इन्द्रसिंह राठौड।

—: डिक्री आदेश :-

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि

- वादी अलीमुदीन के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा खाटूबडी का खसरा नम्बर 1700 रकबा 1.6916 हैक्ट पूरा रखा है। एवं प्रतिवादी संख्या 18 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्तें खातेदारी में मौजा खाटूबडी का खसरा नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7527 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। व प्रतिवादी संख्या 19 व 20 मनमोहन सिंह व प्रीति राठौड के सामलाती हक बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटूकला का खसरा नम्बर नम्बर 1699 रकबा 1.5054 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7527 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है। व प्रतिवादी संख्या 19 मनमोहन सिंह के हक बंट व खातेदारी में खाटूकला का खसरा नम्बर 2042/1700 रकबा 0.2428 हैक्ट. पूरा रखा गया है।
2. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

आज की तारीख तीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...29/09/25...को जारी किया गया



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्जर ववत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्जर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

